आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0जे0सी0 संख्या–2246/2018 (उत्पन्न सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 8561/2018 ब्रजेन्द्र कुमार सिन्हा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक–02.01.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में आशु अवर निरीक्षक से आशु निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक–14.02.2019 को महानिदेशक पर्षद की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में प्रोन्नति हेतु योग्य पाये गये निम्नांकित आशु अवर निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से आशु निरीक्षक की कोटि में औपबंधिक रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए विशेष शाखा में पदस्थापित किया जाता है। मो0 नसीम अहमद, सीतामढ़ी जिला बल को आशु अ0नि0 कोटि में सम्पुष्ट करते हुए यह प्रोन्नति प्रदान की जा रही है। प्रोन्नत पद पर आर्थिक लाभ योगदान की तिथि से देय होगा :–

क्र0	वरीयता क्र0	आशु अ0नि0 का नाम/ आरक्षण कोटि	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	जन्म तिथि	प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	2	मो0 नसीम अहमद/ सामान्य	नालंदा	सीतामढ़ी	12.08.60	तत्काल प्रभाव से (सम्पुष्ट करते हुए)
2	3	मो0 कैश/ सामान्य	सारण	पटना	21.10.61	तत्काल प्रभाव से
3	7	अर्जुन दास/ अनु0 जाति	नालन्दा	अप0अनु0 विभाग	12.02.1963	तत्काल प्रभाव से

यह प्रोन्नति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है:–

1. नव प्रोन्नत आशु निरीक्षक के विरूद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन में हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरूद्ध फौजदारी/आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह प्रोन्नति देय नहीं होगी। ऐसे मामले में प्रक्षेत्रादेश/क्षेत्रादेश/जिलादेश रोककर अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाएगा।

2. यदि नव प्रोन्नत आशु निरीक्षक के सेवा अभिलेख में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आदेश को तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

3. यदि किसी वरीय आशु अवर निरीक्षक का मामला आशु निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु प्रकाश में आता है तो उस स्थिति में इस प्रोन्नत्यादेश में आवश्यक संशोधन किया जायेगा तथा रिक्ति के अनुसार कनीय को आशु अवर निरीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

4. मनोनयन प्राप्ति के बाद नव प्रोन्नत आशु निरीक्षक का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया हो तो ऐसी स्थिति में प्रोन्नत पदाधिकारी का जिलादेश/क्षेत्रादेश/प्रक्षेत्रादेश उनके वर्तमान पदस्थापन से निर्गत होगा।

5. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील सं0–4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामलें में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

7. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–9706, दिनांक–20.07.2018 के आलोक में गृह विभाग(आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक–342, दिनांक–10.01.2019 द्वारा किये गये रोस्टर क्लीयरेंस के आधार पर यह प्रोन्नति प्रदान की गई है।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर) 15/2

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 172 /पी–2
16–01–02–2018
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना। दि0- 15/02/2019

प्रतिलिपिः–

1. सभी सम्बन्धित पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेलवे/इकाई सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ

(हस्ताक्षर) 15/2

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।